Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : KISHANGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-05-2025 10:05 AM

Fee Receipt No	:	202502006004679	Receipt Date	:	14/05/2025
Name	:	SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI FOUNDATION THR TRUSTEE SHRI SURESH PATNI,	Document S. No.	:	202501006004419
Address	:	0 ,OFFICE AT R K MARBLE PVT LTD ,KISHANGARH ,AJMER			
Document Type	:	Lease Deed Free Hold			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 363005980

Ord-Registration Fee	:	₹ 500	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 150	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 1450**
			Total Amount	:	**₹ 1450**

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 105061058 ₹ 1450

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)
SUB-REGISTRAR

Cashier

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर)

पट्टा विलेख (लीज होल्ड/फ्री होल्ड)

संस्थागत

(स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख)

क्रमांक/नपकि/भूमि शाखा / 865 **दिनांक** 12/05/2025

पट्टा धारक **श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन** स्थानीय कार्यालय पता **C/O आर. के. मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर** जरिये **ट्रस्टी** (पदनाम) **श्री सुरेश पाटनी** पुत्र **श्री कंवरलाल पाटनी** निवासी **आर. के. हाउस, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर** राजस्व ग्राम **किशनगढ–बी** खसरा नम्बर :– **442 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल क्षेत्रफल रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा (मौके पर काबिज क्षेत्रफल 60602 वर्गमीटर)** भूमि में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष मे उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 12/05/2025 **को निष्पादित किया जाता है।**

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

For Shri Ratan Lal Kanwar Lal Patni Foundation

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. .... Trustee

नोट :– शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

सभापति
नगर परिषद, किशनगढ
सभापति
नगरपरिषद् किशनगढ़

आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ
आयुक्त
नगरपरिषद् किशनगढ़ (अजमेर)

संस्थागत

(नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप–पट्टे (सब–लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होंगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू–उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
8. यह पट्टा स्वनिर्धारण के आधार पर दिया जा रहा हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. उक्त संस्था को महिला महाविद्यालय हेतु श्रीमान् उपशासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि/एफ. 7(ड)/165/डीएलबी/11/4012 दिनांक 13.06.2012 के निर्देशानुसार 99 वर्षीय लीज डीड निःशुल्क आवंटन की गई थी।
10. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99/पार्ट दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या – 2 के अनुसार संस्थानिक भूखण्डों हेतु 10 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर फ्री होल्ड किये जाने का प्रावधान है। उक्त भूमि आवंटन को पूर्व में लीज राशि से मुक्त किया गया है।
11. परिषद द्वारा पूर्व में जारी 99 वर्षीय शाश्वत लीज डीड दिनांक 14.06.2012 को समर्पित करते हुये फ्री होल्ड लीज डीड जारी की जा रही है।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रतिफल कुल राशि ''निःशुल्क'' आवंटन

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरणः–

पूर्व :................................ पश्चिम :................................

उत्तर :................................ दक्षिण :................................ (संलग्न साईट प्लान अनुसार)

For Shri Ratan Lal Kanwar Lal Patni Foundation

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. .... Trustee

2. ....

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान

साक्षी :–

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

अंगूठा निशान

सभापति
नगर परिषद, किशनगढ
सभापति नगरपरिषद् किशनगढ

आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ
आयुक्त नगरपरिषद किशनगढ़ (अजमेर)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

S 765042

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधारभूत आवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) - 10 प्रतिशत	रुपये
गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)/ प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु - 20 प्रतिशत	रुपये
कुल योग	रुपये 150

राजस्थान सरकार
07 MAR 2025
कार्या. उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

पंजीयन हेतु प्रमाण पत्र

यह है कि नगर परिषद किशनगढ द्वारा राजस्व ग्राम किशनगढ बी के खसरा नं. 442 रकबा 12 बिस्वा एवं 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि/एफ7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/1385 दिनांक 16.03.2012 एवं पत्र क्रमांक भूमि/एफ7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/4012 दिनांक 13.06.2012 के अनुसार **श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ** को निःशुल्क 99 वर्षीय लीज होल्ड पर भूमि आवंटित की गई थी। उक्त लीज डीड को दिनांक 04.03.2025 को ऑफलाईन माध्यम से फ्री होल्ड लीज डीड जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान सरकार के प्रचलित आदेशो / नियमों / परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं के क्रम में आज दिनांक 12/5/25 को मूल लीज डीड प्राप्त की जा चुकी है।

अतः **श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ स्थानीय कार्यालय पता आर.के. मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ** जरिये ट्रस्टी **श्री सुरेश पाटनी पुत्र श्री कंवर लाल पाटनी निवासी आर. के. हाउस, मदनगंज किशनगढ के पक्ष में** फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 865 दिनांक 12/5/2025 जारी किया किया गया है।

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

स्टाम्प विक्रेता–जितेन्द्र जैन ला. नं. 24/20

क्रमांक–00568 दिनांक 25.04.2025

नाम–श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन

पिता/पति का नाम–

पताः–मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

प्रयोजन–समर्पणनामा हस्ते– खेमचन्द सिंघल

UID: 9656 9230 9555

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

उप पंजीयक किशनगढ़
SUB REGISTRAR KISHANGARH

Presentation Endorsement Print Date: 5/14/2025 10:11:47 AM

आज दिनांक 14 माह 05 सन् 2025 को 10:19 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI FOUNDATION
THR TRUSTEE SHRI SURESH PATNI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI KANWAR LAL PATNI
उम्र 68 वर्ष, जाति 0-JAIN , व्यवसाय Business
निवासी House No.: 0, Colony: OFFICE AT R K MARBLE PVT LTD , Area: OFFICE AT R K MARBLE PVT LTD , City: KISHANGARH , Pin code: 305801, District: AJMER, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202501006004419

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

---

Fees Receipt Endorsement Print Date: 5/14/2025 10:11:47 AM

रसीद नं.	202502006004679
दिनांक	14-05-2025
पंजीयन शुल्क ₹	500
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	1450

202501006004419

उप पंजीयक,
KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 105061058 ₹ 1450

Endorsement of Execution Print Date: 5/14/2025 10:11:47 AM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD KISHANGARH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER , व्यवसाय जाति Rajasthan Government			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI FOUNDATION THR TRUSTEE SHRI SURESH PATNI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI KANWAR LAL PATNI , व्यवसाय Businessजाति 0-JAIN House No.: 0, Colony: OFFICE AT R K MARBLE PVT LTD , Area: OFFICE AT R K MARBLE PVT LTD , City: KISHANGARH , Pin code: 305801, District: AJMER, State: RAJASTHAN	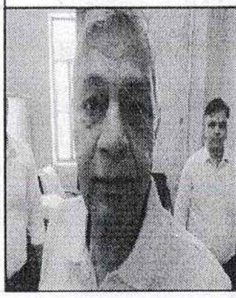		Claimant Age : 68 Signature :

ने लेख्यपत्र Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AMIT DADHICH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री DEVI LAL SHASTRI जाति BRAHAMAN Age: 47 Add: House No.: 0, Colony: AZAD NAGAR , Area: BUS STAND KE SAMANE , City: KISHANGARH , Pin code: 305801, District: AJMER, State: RAJASTHAN	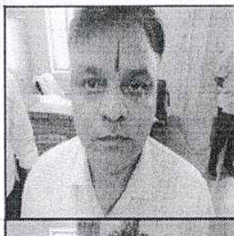		Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ADITYA JAIN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BABU LAL JAIN जाति JAIN Age: 33 Add: House No.: 0, Colony: NEAR PANCHAYAT SAMITI , Area: JAIPUR ROAD PHAGI , City: PHAGI , Pin code: 303005, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202501006004419 उप पंजीयक, KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

पटटा विलेख (लीज होल्ड / फ्री होल्ड)

संस्थागत

पटटा धारक का नाम - श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउंडेशन जरिए ट्रस्टी

श्री सुरेश पाटनी पुत्र श्री कंवरलाल पाटनी

कार्यालय पता - आर. के मार्बल प्राइवेट लिमिटेड मकराना रोड

मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान !

1. गवाह नाम - श्री आदित्य जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन

निवासी - पंचायत समिति के समाने जयपुर रोड फागी

तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान !

हस्ताक्षर...

2. गवाह नाम - श्री अमित दधीच पुत्र श्री देवी लाल जी

निवासी - आजाद नगर मदनगंज किशनगढ़

तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान !

हस्ताक्षर...

For Shri Ratan Lal Kanwar Lal Patni Foundation

Under 54 Endorsement

Print Date:5/14/2025 10:25:41 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 363005980 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 500, सरचार्ज राशि 150 कुल रू 1150 रसीद संख्या 202502006004679 दिनांक 14-05-2025 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202501006004419

उप पंजीयक, KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

Registration Endorsement

Print Date:5/14/2025 10:25:41 AM

आज दिनांक 14/05/2025 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1135 में
पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 202503006103212 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3818 के
पृष्ठ संख्या 229 से 236 पर चस्पा किया गया ।

202501006004419

उप पंजीयक, KISHANGARH

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

LAYOUT PLAN OF KH. NO. 442 AND KH. NO. 443 VILLAGE KISHANGARH-B, TEH. KISHANGARH. DIST. AJMER (RAJ)
SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI FOUNDATION MADANGANJ KISHANGARH

AREA OF KH. NO. 442 & 443 = 60602.00 SQ.M. (6.0602 HECTARE)

N

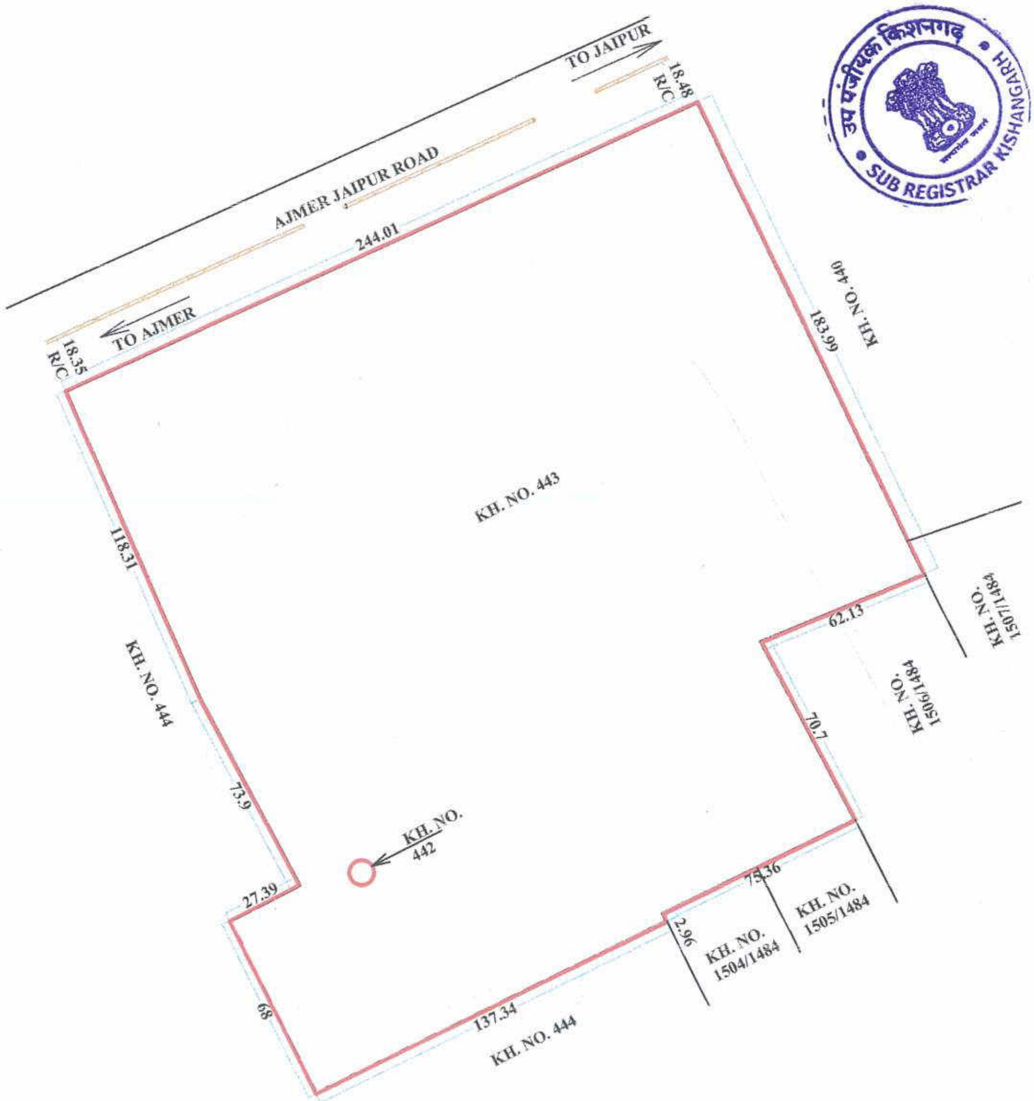

उप पंजीयक किशनगढ़ SUB REGISTRAR KISHANGARH

For Shri Ratan Lal Kanwar Lal Patni Foundation

Trustee

पटवारी नगर परिषद्, किशनगढ़	सहायक नगर नियोजक नगरपरिषद् किशनगढ़ नगर परिषद्, किशनगढ़	आयुक्त नगर परिषद्, किशनगढ़	सभापति नगर परिषद्, किशनगढ़

Registration Endorsement Print Date:5/14/2025 10:25:01 AM

आज दिनांक 14/05/2025 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1135 में
पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 202503006103212 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3818 के
पृष्ठ संख्या 229 से 236 पर चस्पा किया गया ।

202501006004419

उप पंजीयक, KISHANGARH

Freehold Lease after conversion from leasehold basis to freehold basis

उप पंजीयक किशनगढ़ • SUB REGISTRAR KISHANGARH

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

21 MAY 2012

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 369096

उप पंजीयक, किशनगढ़ Sub Registrar, Kishangarh सत्यमेव जयते

परिशिष्ट "जी"

(आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)

नगर परिषद् किशनगढ़ (राजस्थान)

शाश्वत लीज

(99 वर्षीय लीज आधार पर)

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में **ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़** (जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख 14/06/2012 को किया गया।

अतः पट्टेदार ने पट्टाकर्ता को इसमें आगे वर्णित भूखण्ड जो पट्टाकर्ता का है का पट्टा देने के लिये आवेदन किया है इस पर स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/1385 दिनांक 16.03.12 के द्वारा श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि 99 वर्षिय लीज पर नियमानुसार देय अरबन असेसमेन्ट पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एंव जारी नीति दिनांक 19.04.11 के प्रावधानों के तहत निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक भूमि/एफ7 (ड)/ (165)/डीएलबी /11/4012 दिनांक 13.06.12 के द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि चूंकि श्री

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

आयुक्त
नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर)

सभापति
नगर परिषद्, किशनगढ़ (अजमेर)

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया।

वक्ता श्रोता

नाम मुद्रांक विक्रेता : **राजकुमार जैन** अनुज्ञा पत्र संख्या : 55/03
रजिस्टर क्रम संख्या : 1126 दिनांक 13.06.12 मुद्रांक वेल्यू 500 क्रम संख्या 369096
मुद्रांक क्रेता का नाम : श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, मदनगंज किशनगढ़
प्रयोजन : लीजडीड़
(हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता : श्रेयांस जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द जैन
जैन कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़ D/L: RJ-01/DLC/2002/16991

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर : ....मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर ....

किशनगढ़ * उप पंजीयक * Sub Registrar

रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को भूमि का आंवटन निःशुल्क किया गया है। अतः भूमि आवंटन के क्रम में जारी नीति के उक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में कोई राशि देय नही बनती है और पट्टाकर्ता ने पट्टेदार द्वारा किये गये कथनों अभिव्यक्तियों का विश्वास करते उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया है और इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टेदार को उक्त भू–खण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया है ,

अतः यह दस्तावेज इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रीमियम के लिये सदत्त रूपये **निःशुल्क** के (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) इसमें आगे आरक्षित किराये के और इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को इसके द्वारा वह सम्पूर्ण भूखण्ड पट्टान्तिरित करता है जो राजस्व ग्राम मदनगंज में स्थित है खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा या इसके लगभग है और अजमेर रोड मदनगंज मे स्थित है। इस भू–खण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें नीचे लिखी अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिये उसकी सीमायें इस विलेख में संलग्न नक्शे में लाल रंग से बनाई गई है और उसमें लाल रंग भरा गया है । (जिसे इसमें आगे भू.खण्ड कहा गया है।) पट्टेकर्ता उसके सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित जो, उक्त भूखण्ड के परिसर के कब्जे से संबंधित हो, तारीख 14.06.2012 से 99 वर्ष के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता है। यह पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टादार तारीख Nil तक वार्षिक भूमि किराये के रूप में रूपये Nil का अग्रिम संदेय होगा। संदाय करेगा और उसके पश्चात् प्रीमियम (पहेल ही भुगतान की राशि और जो इसमे अन्तविर्ष्ट प्रसंविदाओं और शर्तो के अधीन प्रीमियम की और संदेय हो, ऐसी अन्य राशि या राशिया) के पॉच प्रतिशत की दर प्रति वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को समान अर्द्धवार्षिक किस्तो मे ऐसे स्थान पर जो पट्टाकर्ता द्वारा समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जावें, संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय माह Nil दो हजार Nil की पन्द्रह तारीख को किया जायेगा और इस लीज के शुरू होने की तारीख से अन्तिम तारीख वर्णित तारीख तक के किराये की रकम रूपये Nil का इस संदाय इन विलेखों के निष्पादन से पूर्व किया जा चुका है ।

यह सर्वदा कि इसमें आगे अन्तविष्ट अपवादो, आरक्षणों, प्रंसविदाओं और शर्तों के जो निम्न प्रकार है, के अध्यधीन है, अर्थात –

I. पट्टाकर्ता, भूखण्ड में या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिजों, कोयलों, गोल्ड वासिंग, भू–तेल, खादानों और हमेशा समस्त ऐसे कार्य और चीजे जो इनकी तलाशी करने, इसके लिये कार्य करने, इन्हे प्राप्त करने, हटाने और इसका उपभोग करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

सभापति
नगर परिषद किशनगढ

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़
मूल प्रति से मिलान किया गया
वक्ता श्रोता

आज दिनांक 14 माह June सन् 2012 को 15:08 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री SURESH PATANI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री KANWAR LAL PATANI
उम्र 54 वर्ष, जाति JAIN व्यवसाय BUSS
निवासी R. K. HOUSE MADANGANJ KISHANGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2012006313)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, KISHANGARH

(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद न0 2012005028 दिनांक 14/06/2012
पंजीयन शुल्क रू0 0/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 1000/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 1200/-

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

मैने पूर्णतया संतोष कर लिया है कि
इस लेखपत्र का श्री COMMSSIONER
के द्वारा अपने सरकारी रूप से निष्पादित
किया है। उन्हे उपस्थिति एवं हस्ताक्षरों
से दृष्टिक्षेप किया जाता है तथा इस लेखपत्र
को पंजीयन के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(2012006313) उप पजियक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वाचता श्रोता

और समीचीन हो, भूखण्ड की सतह या उस पर तत्समय बने किसी भवन के लिये कोई उर्ध्व सहारा दिये बिना या छोड़े बिना करने के सारे अधिकार और शक्तियां स्वयं के लिये छोड़ता है और आरक्षित रखता है परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित या उनमें से किसी अधिकार का प्रयोग करने से हुए समस्त सीधी हानि के लिये पट्टेदार को उचित मुआवजा देगा।

उप पंजीयक, किशनगढ़ सत्यमेव जयते Registrar, Kishangarh

II. पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिये पट्टाकर्ता से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदाएं करता है, अर्थात :-

1- पट्टेदार ऐसे समय के अन्दर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों को भुगतान करेगा, जो भूमि आवाप्ति कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णित ऐसे प्रतिकर के फलस्वरूप जो निर्देश पर या अपील में या दोनों में बढ़ा दिया गया हो, पट्टाकर्ता द्वारा विनिश्चित किया जावे और इस निमित पट्टेकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा।

इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के पॉच प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना, इन विलेखों के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम के रूप में संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर, जिसका कि इसमें उपबंध किया गया है, तारीख Nil से की जावेगी।

2- पट्टेदार पट्टेकर्ता का इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का संदाय इसमें पहले नियत दिवसों पर और उसी प्रकार से करेगा।

3- पट्टेदार ले आउट नक्शें से किसी भी प्रकार से विचलित नही होगा और न ही भूखण्ड के आकार में, उपविभाजन, समामेलन द्वारा या अन्यथा परिवर्तन करेगा।

4- पट्टेदार, उचित नगर पालिका का अन्य प्राधिकरण से, स्वयं के खर्चे पर आवश्यक डिजाईनों, नक्शे और विनिर्दिष्टों सहित भवन के नक्शें की मंजूरी प्राप्त करके तारीख 14/06/2012 से रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के प्रावधानो के अनुसार समय अवधि के अन्दर ओर इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का गर्भ होगा/ भूखण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन के मंजूरशुदा नक्शे के अनुसार उक्त नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण के समाधान हेतु आवश्यक और समुचित दीवारों, मल नालियों और नालियों तथा अन्य सुविधाओं सहित पअनुमोदित उपयोग के लिये पर्याप्त और कर्मकार जैसी रीति में भवन तैयार करेगा।

5- पट्टेदार उक्त भूखण्ड के कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय, अन्तरण या समनुदेशन नही करेगा या अन्यथा पृथक नही करेगा।

आयुक्त नगर परिषद किशनगढ	(2) 214	सुशीला पाटनी सभापति नगर परिषद किशनगढ	सत्य प्रतिलिपि उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता 714 श्रोता

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1 SURESH PATANI THR T. RATAN LAL KANWAR LAL PATNI/KANWAR LAL PATANI
Age 54 Caste-JAIN
Ocu.-BUSS
R/O-R. K. HOUSE MADANGANJ KISHANGARH

(And Claimant)
1-COMMSSIONER /NA
Age 0. Caste-
Ocu
R/O-NAGAR PARISHAD KISHANGARH

ने लेखपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 ---------- पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे से रू0 ---------- पूर्व में ----------
शेष समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1 श्री / श्रीमती / सुश्री ABHISHEK GARG
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री OM PRAKASH उम्र 35 वर्ष
जाति AGARWAL व्यवसाय SERVICE
निवासी VIDHYA SAGAR COLONY KISHANGARH

2 श्री / श्रीमती / सुश्री SUBHASH AGARWAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MAGTURAM JI उम्र 45 वर्ष
जाति AGARWAL व्यवसाय SERVICE
निवासी R K COLONY KISHANGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता श्रोता

6– जब कभी भी उक्त भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये तो अन्तरित इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं और शर्तो से आबद्ध होगा और उसके यि हर प्रकार से उतरदायी होगा।

7– जब कभी भी उक्त भूखण्ड पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये तो अन्तरणकर्ता और अन्तरित अन्तरण के तीन मास के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे अन्तरण की लिखित में सूचना देगा। पट्टेदार की मृत्यु की दशा में, वह व्यक्ति जिसे मृतक का स्वत्व न्यागत हो, न्यागमन के तीन मास के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे न्यागमन की सूचना देगा।

अन्तरित या वह व्यक्ति, जिसे स्वत्व न्यागत हो, यथा स्थिति पट्टाकर्ता को अन्तरण या न्यागमन का साक्ष्य देने वाले निर्णय/ विलेखों की प्रमाणित प्रतियां देगा।

8– पट्टेदार समय–समय पर और हमेशा ऐसी समस्त दरों, करों, प्रभारों ओर हर प्रकार के निर्धारणों का भुगतान और उन्मोचन करेगा और जो अभी या इसके पश्चात् इस लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरित भू–खण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन पर या इससे सम्बन्धित किसी भू–स्वामी या किरायेदार पर निर्धारित प्रभारित या अधिरोपित किया जाये।

09– इसके द्वारा पट्टान्तरित भू–खण्ड के सम्बन्ध में देय किराये और अन्य संदाय के समस्त बकाया उसी रीति में जिससे भू–खण्ड राजस्व बकाया वसूल किया जाता है वसूलीय होंगे।

10– पट्टेदार समुचित नगरपालिका का तत्समय प्रदत्त अन्य प्राधिकरण के भवन, नाली और अन्य उप नियमों का हा प्रकार अनुपालन करेगा ओर उनसे आबद्ध होगा।

11– पट्टेदार समुचित नगरपालिका का अन्य प्राधिकरण की लिखित मंजूरी या अनुज्ञा के बिना उक्त भू–खण्ड पर कोई भवन निर्मित नही करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।

12– पट्टेदार पट्टाकर्ता की लिखित सहमति के बिना उक्त भू–खण्ड पर या उन पर के किसी भी भवन का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुज्ञा नही देगा अथवा ....––––––––––............. से या ऐसे अन्य प्रयोजनों जो राज्यपाल द्वारा समय–2 पर मंजूर किये जायें से भिन्न किसी भी प्रयोनार्थ उसका उपयोग नही करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा नही देगा अथवा उसमें कोई ऐसा कार्य जो कुछ भी हो नही करेगा या करने नही देगा जिससे पट्टाकर्ता की राया में पट्टाकर्ता और पड़ौस में रहने वाले व्यक्तियों के लिये अनुश्रास, क्षोभ या विघ्न हो। परन्तु यदि पट्टेदार उक्त भू–खण्ड या उस पर बने भवन का उपयोग उससे या सहमत जिसको

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

सभापति
नगर परिषद किशनगढ

ए– उस भंग की विशिष्ट दी हो जिसके बारे में शिकायत की गई हो, और

बी– यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की आशा की गई हो

और पट्टेदार सूचना में यथा वर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ हो और समपहरण, या पुनः प्रवेश की दशा मे, पट्टाकर्ता स्वविवेकानुसार ऐसे निबंधो और शर्तों पर जो वह उपयुक्त समझे उस समपहरण के विरूद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात समपहरण या पुनः प्रवेश कर निम्न लिखे हेतु पर लागू नही होगी–

अ– उपविभाजन या समामेलन उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण ओर पूर्ण करने ओर भू खण्ड के अन्तरण जैसा कि खण्ड II में उल्लेख हैं, से संबंधित प्रसंविधाओ और शर्तो के भंग के लिये, या

ब– उस दिशा में जब यह लीज किसी तथ्य को छुपाने, अशुद्ध कथन, दुव्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई हो।

V. इसके द्वारा आरक्षित किराये मे 1 जनवरी, 20 के उसके पश्चात् 15 वर्ष की प्रत्येक उतरवर्ती कालावधि के अन्त में बढ़ाया जावेगा परन्तु नियत किराये में वृद्वि प्रत्येक वृद्वि पर हर बार, भुगतान वार्षिक किराये के 22 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

VI. इन विलेखों के अधीन या उनके संबंध में (सिवाय ऐसे मामलों के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्टतः उपबंध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल मध्यस्थ के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा। यह आक्षेप नहीं होगा कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलों पर विचार करना पड़ता है जिनसे लीज संबंधित है या यह कि उसकी सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्यूटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्हीं मामलों पर विचार व्यक्त कर चुका है। मध्यस्थ का पंचाट अन्तिम और पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ पक्षकारो की सम्मति से पंचाट करने ओर प्रकाशित करने की कालावधि समय–समय पर बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त के अध्यधीन पंचाट अधिनियम 1940 और उसके अधीन उस समय प्रवृत नियम तथा उसमे कोई उपान्तरण, इस खण्ड के अन्तर्गत मध्यस्थम कार्यवाहियों पर प्रवृत समझे जायेगें।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

गुणमाला पाटनी
सभापति
नगर परिषद किशनगढ

उप पंजीयक
किशनगढ (अजमेर)

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता श्रोता

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक किशनगढ

VII. इस लीज के अधीन दिये जाने योग्य समस्त नोटिस, आदेश, निर्देश, सहमतियां या मंजूरी लिखित रूप में होंगे और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जावे हस्ताक्षर किये जावेंगे ओर उन्हें पट्टेदार या भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामिल हुआ समझा जायेगा। यदि वे भूखण्ड पर बने किसी भवन या परिनिमार्ण चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जावेगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्कालीन निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर या सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर परिदत कर दिया जायेगा या डाक द्वारा भेज दिया जावे।

उप पंजीयक, किशनगढ़ * Sub Registrar, Kishangarh * सत्यमेव जयते

VIII.(a) इस लीज के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। पट्टाकर्ता उसे इस लीज के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने से लिये किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

VIII.(b) राज्यपाल उपर उपखण्ड (ए) के आधार पर पट्टेदारी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले योग्य पट्टाकर्ता की शक्तियों के सिवाय ऐसी सब या किन्ही शक्तियों पट्टाकर्ता द्वारा इस लीज के अधीन प्रयोग करने के लिये वह सशक्त है का प्रयोग करने के लिये जिला अधिकारी या अन्य अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

IX. इस लीज में शब्द "राज्यपाल" से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है। इस शब्द में ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये पट्टाकर्ता द्वारा पदाविहित किया जाये, भी सम्मिलित होगा।

X. इसमें पूर्व में प्रयुक्त शब्दों "पट्टाकर्ता" और पट्टेदार में जहां सन्दर्भ में ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के मामले में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिति तथा पट्टेदार के मामलों में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि और वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सर्जित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेश द्वारा या अन्यथा निहित किया जायेगा, सम्मिलित होंगे।

XI. यह लीज गर्वमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है।

XII. पट्टेदार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मे वर्णित समस्त प्रावधानों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

XIII. पट्टेदार रियायती दर पर आवंटन के संबंध में जारी नीति 19.04.2011 में वर्णित समस्त प्रावधान की पालना करने हेतु बाध्य रहेगा।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

सभापति
नगर परिषद किशनगढ

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता 14 श्रोता

XIV. पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशों/ निर्देशों एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–2 पर एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशो/ निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को पट्टाकर्ता के लिये और उसकी ओर से तथा उसके आदेश निर्देश से सभापति/ आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ ने और पट्टेदार **ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़** ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

अनुसूचि जिसका ऊपर उल्लेख किया है

नगर पालिका बोर्ड/ परिषद्/न्यास द्वारा/ राज्य सरकार स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/1385 दिनांक 16.03.12 एवं क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/4012 दिनांक 13.06.12 संकल्प संख्या Nil तारीख Nil द्वारा मंजूर --- ---------- जिसका क्षेत्रफल राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा है और जिसकी सीमाएँ संलग्न राजस्व ट्रेस मेप के अनुसार है।

और यह संलग्न नक्शें में दर्शाया गया है तथा इसकी सीमाएँ लाल रंग स्याही से अंकित की गई है।

राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिये और उनकी और से तथा उनके आदेश और निर्देश से सभापति/ आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ ने –

1– **ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़**

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

2– **ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़**

(पट्टेदार) ने

श्री सुभाष अग्रवाल, आर.के. पाक कॉलोनी, किशनगढ़ (अजमेर) राज.

श्री अभिषेक जैन, 23, विद्यासागर कॉलोनी, किशनगढ़

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

उप पंजीयक, किशनगढ़ * Sub Registrar, Kishangarh

सत्यमेव जयते

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

सभापति
नगर परिषद किशनगढ

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता 514 श्रोता

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 0
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 0 कुल रूपये 1200
जरिये रसीद संख्या 2012005028 दिनांक 14/06/2012
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 0
के मुद्राकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 14/06/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 604
में पृष्ठ संख्या 53 क्रम संख्या 2012004105 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1695
के पृष्ठ संख्या 12 से 24 पर
चस्पा किया गया।

उप पंजीयक किशनगढ़ * Sub Registrar Kishangarh

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया
वक्ता श्रोता

नक्शा भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख कार्यालय

ग्राम - किशनगढ़

तह. किशनगढ़

जिला- अजमेर

खसरा नं. 2026

पैमाना 16" = 1 मील

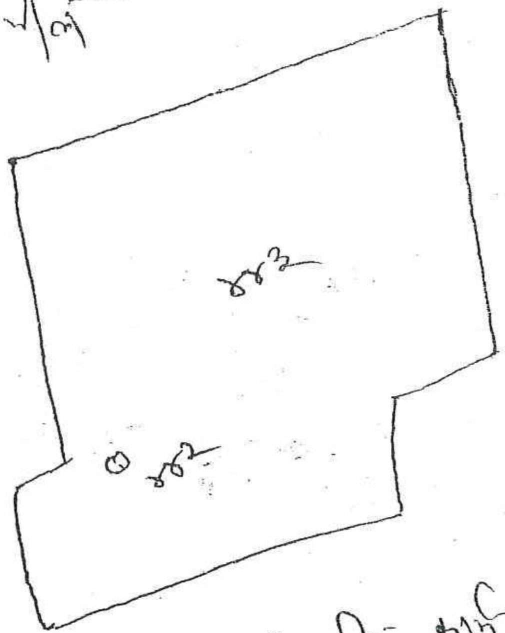

राजकीय कार्यालय हेतु [illegible]

[illegible]

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ (अजमेर)

गुणमालापाटनी
सभापति
नगर परिषद, किशनगढ़ (अजमेर)

(2) 215

उप पंजीयक, किशनगढ़ * Sub Registrar Kishangarh * सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

मूल प्रति से मिलान किया गया

उप पंजीयक किशनगढ़

वक्ता श्रोता

आज दिनांक 14/06/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 604
के पृष्ठ संख्या 53 क्रम संख्या 2012004105 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1695
के पृष्ठ संख्या 12 से 24 पर
चस्पा किया गया।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया
वक्ता श्रोता

परिशिष्ट –13

भूमि– भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक:- 434 | दिनांक:- 9/2/2026

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

तहसील कार्यालय, किशनगढ़

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषय: भूमि–भवन प्रमाण पत्र

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व् भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तहसीलदार किशनगढ़ (अजमेर) कार्यालय

1. भूमि का पता : अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़, जिला - अजमेर

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक) ✓	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर				442, 443	
भूमि का वर्ग मीटर माप				37 बीघा 19 बिस्वा (60602 वर्गमी.)	
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक/संस्थागत/आवासीय/वाणिज्यिक/कृषि भूमि				शैक्षणिक संस्थागत	

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज है तथा नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है। को फ्री होल्ड आवंटित की गई है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. ✓ उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का ~~प्रस्तावित~~/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है। (हाँ, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कालेज)

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है। (नहीं)

9/2/26

तहसीलदार/सक्षम अधिकारी

(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर)

तहसीलदार

किशनगढ़ (अजमेर)

09/02/2026

Scanned with CamScanner